


SERVO, 44



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्ररूप 26

14AA 591835



Identified by

निर्वाचन क्षेत्र से 60 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विद्यालोक (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र में, 30 मे 2012 में, पुत्र / प्रभुपत्नी, वर्ष, जोड़ा, का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

- 1- मैं, ऐसे किसी ललित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरंभ विरचित किया गया है / किए गए हैं। (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं, जिला (जिले), राज्य
 - (ii) पुलिस थाना (थाने), जिला (जिले), राज्य
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है, न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई, तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे, क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / है

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं, जिला (जिले), राज्य
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है, जिला (जिले)
- (iii) पुलिस थाना (थाने), जिला (जिले)
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है, तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे, क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / रोके गए हैं

स्थान : तारीख : 11/01/12

अभिजाता के हस्ताक्षर

Examined and Identified by G. S. DHAPOLA, Notary, Kaladhungi, Dist. Dehra Dun, U.P. 20102005. Under Sharma

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

60 कालाङ्गी निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विद्यालया (सदन का नाम)

आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

में, उमेश शर्मा पुत्र / पुत्री प्रती देवी लता शर्मा

आयु 32 वर्ष, जो ग्राम इंदिरा धरम जिला का

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :


- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लता शर्मा
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे.....
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.....

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

स्थान : कालाङ्गी
तारीख : 11/02/2012




अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


सत्यापन

मैं. ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

60 निलगाडी स्थान पर आज तारीख 11/01/2012 को
सत्यापित किया।



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।



Umesh Sharma

certified that Shri. Datt
the Deponent Identified by Kaladhungi
I have read & Verified the Contents of
the Affidavit at Kaladhungi
on the date 11/01/2012


G. S. DHAPOLA)
Notary, Kaladhungi,
Dist. Nainital (U.A.) India